

राजस्थान सरकार  
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक: प.1(11)वित्त/राजस्व/16 पार्ट

दिनांक:- 11.02.2021

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को आगामी आदेशों तक अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के समक्ष अंकित पदों का अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती /सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त कार्यभार	वि० वि०
1.	रामकरण मीणा	अतिरिक्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, भरतपुर	लेखाधिकारी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर	• रिक्त पद पर
2.	करना राम	अतिरिक्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बाडमेर	लेखाधिकारी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बाडमेर	• रिक्त पद पर

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(नीलेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) ।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष ।
4. संबंधित अधिकारी ।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त शासन सचिव